A 3/17

न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 07/2013

अपीलांट

ताजाराम पुत्र भगवानाराम
जाति जाट निवासी साईयों का
तला(बाटाड़ू)तहसील,बायतु

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. पदमाराम पुत्र बनाराम
2. गंगाराम पुत्र बनाराम
3. श्रीमती अमरूदेवी बेवा बनाराम
   जाति जाट निवासी सांईयो क तला (बाटाड़ू) तहसील,बायतु
4. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक,शाखा बाटाड़ू

5.तहसीलदार,बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.06.2012 द्वारा तहसीलदार,बायतु

उपस्थितः—1.श्री डालूराम गोदाराम अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से।
2.श्री करनाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 3 की ओर से।
3.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवकता रेस्पोडेंट संख्या 05 की ओर से

आदेश दिनांक 10.8.2015

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 3 की पैतृक भूमि खेत खसरा नम्बर 1596 रकबा 150 बीघा 16 विस्वा साईयों का तला(बाटाड़ू) में आई हुई है। जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा एंव रेस्पोडेंट संख्या 1 से 03 का 1/2 हिस्सा है। पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने—अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपने—अपने हिस्सों में आवासीय ढाणीये बनी हुई है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार ,बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। जिस पर तहसीलदार बायतु ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2012 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को मियाद अन्दर स्वीकार करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:23 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलबी।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मौजा सांईयों का तला के खसरा नम्बर 1596 रकबा 150बीघा 16 विस्वा में अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 का 1/2 हिस्सा है। इसी आराजी को पक्षकार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर काश्त करते आ रहे हैतथा अपने अपने हिस्से में आवासीय ढाणीयां बनी हुई है। पक्षकारान ने विभाजन कब्जा अनुसार अपनी सहमति दी। पटवारी हल्का ने विभाजन आवेदन तैयार करते समय इसी अनुरूप नक्शा बनाने का आश्वासन दिया था। मगर भौतिक कब्जा काश्त अनुसार नक्शा नहीं बनाया। विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त अनुसार नहीं है। अपीलांट का इस विभाजन से रहवासीय ढाणी का आवास पूर्व कब्जा पूर्ण रूप से प्रभावित रहा है। मयाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि विभाजन प्रस्ताव के तस्दीक होने के पश्चात् पक्षकारान के अपने अपने भूखण्ड पर नाप कर चिन्हित न करने के कारण अपीलांट को वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ अपीलाधीन आदेश का अपीलांट को विवाद की स्थिति पैदा होने पर व विभाजन आदेश की हल्का पटवारी से नकले प्राप्त करने पर दिनांक 29.4.13 को हुआ और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मयाद पेश की है। पक्षकारान लोक अदालत में इस प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। इसलिये लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 03के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि पूर्व में जो बंटवाड़ा किया गया था,वह मौके पर कब्जे काश्त के विपरित किया गया था जिसको निरस्त करवाने में हम सभी पक्षकारान पूर्ण रूप से सहमत है। इसलिये मामला पुनः भौतिक कब्जा काश्त अनुसार रिमाण्ड किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नहीं है।

5. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली,उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बायतु द्वारा बंटवाड़ा आदेश दिनांक 25.06.2012 को स्वीकृत करने के विरुद्ध पेश की है। मौजा सांईयों कातला के खसरा नम्बर 1596 रकबा 150 बीघा 16 विस्वा अपीलांट व रेस्पोडेंटस की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलांटस एंव रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 03 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:23 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
([illegible])

A3/19

किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, अपील में अंकित तथ्यो एवं लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है,उसी अनुसार पक्षकारान ने मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा करने में सहमति जाहिर की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जॉच नहीं की। जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया है जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है जो स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मयाद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2012 को अपास्त किया जाता है, और तहसीलदार, बायतु को निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ0पी0विश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 10.08.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:23 IST
Reason: SelfAttested